मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. NO : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 20575

भोपाल, दिनांक : 11/09/17

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई ....
(म.प्र.)

विषय :— संधारण अभियान अवधि दिनांक 15.09.2017 से 15.12.2017 तक।

—0—

1. विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में निर्मित की गई सड़कों का संधारण MPRRDA द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। विगत वर्षो में अनुभव रहा है कि वर्षा के उपरांत निश्चित समयावधि में संधारण कार्य पूर्ण न होने से प्राधिकरण की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। उपरोक्त स्थिति में आवश्यकता है कि MPRRDA द्वारा निर्मित सड़कों का संधारण वर्षा के उपरांत एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का कार्य **एक अभियान** के रूप में किया जावे जिससे वर्षा उपरांत ग्रामीणजनों को आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

2. **संधारण अभियान** के अंतर्गत निश्चित अवधि में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(i) **15 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक** :— समस्त सहायक प्रबंधक/सब इंजीनियर अपने प्रभार के कार्यो का निरीक्षण कर, सड़क वार किए जाने वाले संधारण के संबंध में ठेकेदार को लेख करते हुए महाप्रबंधक को प्रतिलिपि देंगे।

(ii) **30 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक** :— सहायक प्रबंधक/सब इंजीनियर प्रभार के कार्यो का पुनः निरीक्षण करें। जिन ठेकेदारों द्वारा संधारण में रूचि नहीं ली जा रही है। उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा पत्र द्वारा महाप्रबंधक को स्पष्ट रूप से करेंगे।

(iii) **15 अक्टूबर 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक** :— महाप्रबंधक संधारण में रूचि न लेने वाले ठेकेदारों को अनुबंध के अंतर्गत SCN जारी करेंगे, जिसमें समस्त संधारण कार्य पूर्ण करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जावे।

(iv) **5 नवम्बर 2017 से 10 नवम्बर 2017 तक** :— महाप्रबंधक संधारण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध टर्मिनेट की कार्यवाही करें एवं BG/FDR का तत्काल नगदीकरण करावें। साथ ही आगामी एजेंसी नियुक्त करने बावत् प्राक्कलन T/S सहित यथा शीघ्र मुख्यालय प्रेषित करें।

(v) **30 नवम्बर 2017 तक** :— महाप्रबंधक इकाई के अंतर्गत समस्त सड़कों का संधारण दिनांक 30.11.2017 तक सुनिश्चित करेंगे।

1 दिसम्बर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 के मध्य मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधक तकनीकी को विभिन्न जिलों में संधारण कार्यो के निरीक्षण हेतु भेजा जाएगा। निरीक्षण के समय सभी मार्ग संधारित अवस्था में होने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में महाप्रबंधक द्वारा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही पाई जानी चाहिए। **यदि निरीक्षण के समय उक्त दोनों स्थितियां नहीं पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।**

3. उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए पुरस्कार योजना में संधारण कार्यो की गुणवत्ता को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके लिए NQM द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये प्रतिवेदनों को आधार बनाया जाएगा।

अतः सभी इकाईयों का यह प्रयास होना चाहिए कि सभी मार्ग निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पूर्ण रूप से संधारित रहें, जिससे NQM तथा SQM के संधारण अंतर्गत मार्गो के किसी भी निरीक्षण में गुणवत्ता श्रेणी S से कम न हो। विपरीत स्थिति में पी.आई.यू. का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र. 20576/22/वि–12/ग्रासप्रा/Maint/17 भोपाल, दिनांक 11/09/2017
प्रतिलिपि :–

- मुख्य महाप्रबंधक, नर्मदापुरम/भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल